न्यायालय-ए०के०गप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 668 / 10

संस्थित दिनाँक-29.10.10

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- 1— रामगोपाल पुत्र भगरीलाल ब्रा0 उम्र 59 साल
- 2— शिवकांत उर्फ बंटी पुत्र रामगोपाल ब्रा0 उम्र 26 साल
- 3— श्रीकांत उर्फ छोटू पुत्र रामगोपाल ब्रा० उम्र 25 साल निवासीगण बीलपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड**अभियुक्तगण**

__:: निर्णय ::— {आज दिनांक 10.11.2016 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होनें दिनांक 16.09.10 को पाली एवं डरमन के बीच नीम के पेड के पास आम रोड पर फरियादी को उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया जिसके अग्रशरण में आरोपी रामगोपाल ने धारदार वस्तु फर्सा से तथा अन्य आरोपीगण ने लाठी एवं सिरया से उसकी मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध संहिता की धारा 341, 294, 325/34, 506–2 के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी रणवीर राठौर ग्राम डिस्मन से दूध लाकर मोटरसाईकिल से गोहद में बेचता था। दिनांक 16.09.10 को सुबह 8 बजे जैसे ही डरमन व पाली के बीच नीम के पेड के पास पहुंचा तो अभियुक्त रामगोपाल फरसा लिए और उसके तीनों लड़के सिरया लाठी लिए मिले और आगे से रास्ता रोक लिया, बोले कि मादरचोद तू दूध नहीं डालेगा पहले भी मना किया था। अभियुक्त रामगोपाल ने एक फरसा मारा जो फिरयादी की दांय बांह में कोहनी के नीचे लगा और खून निकल आया। तीनों लड़कों ने सिरया लाठी से मारपीट की जिससे शरीर में कई चोटें आई। कल्लू व नरेन्द्र राठौर ने बचाया, अभियुक्तगण आईदा दूध लाने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0—198/10 पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षीगण के

कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण अभियुक्तगण ने निर्दोष होने तथा दूध का धंधा करने के कारण रंजिशन झूंटा फंसाया जाना बताया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1.क्या अभियुक्तगण ने दि० 16.09.10 को फरियादी रणवीर को धारदार वस्तु से शरीर पर कोई चोट मौजूद थी ?

2—क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से आरोपी रामगोपाल ने धारदार वस्तु फर्सा से उपहति कारित की जिसके लिए शेष समान रूप से उत्तरदायी हैं ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रणवीरसिंह राठौर अ०सा० 1, कल्लू अ०सा० 2, रामेश्वर अ०सा० 3, वैजनाथ अ०सा० 4, नरेन्द्र अ०सा० 5 व डा० धीरज गुप्ता अ०सा० को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 1//

- 7. फरियादी रणवीर अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि घटना के समय वे दूध का काम करते थे। घटना दिनांक को डिरमन से मोटरसाईकिल से गोहद आ रहे थे। डिरमन एवं पाली के बीच नीम के पेड के पास अभियुक्त रामगोपाल फरसा तथा तीनों लडके सिरया लाठी लिए थे। यह कथन करता है कि उसे अभियुक्त रामगोपाल ने फरसा मारा जो दाए हाथ की कोहनी के नीचे लगा और तीनों लडकों ने लाठियों से मारपीट की। साक्षी यह कथन करता है कि उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी० 1 थाने पर की जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताता है। नक्शामौका प्र०पी० 2 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करता है।
- 8. फरियादी रणवीर अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना कल्लू राठौर व नरेन्द्र राठौर ने देखी थी। कल्लू अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि वे सुबह बच्चा छोड़ने के लिए पाली गए थे, लौटकर आए तो डिरमन पाली के बीच नीम के पेड़ के पास अभियुक्तगण रणवीर की मारपीट कर रहे थे। लड़कों के पास लाठी व सरिया तथा रामगोपाल के पास फरसा होने का कथन करते हैं। नरेन्द्र अ०सा० 5 घटना का कोई समर्थन नहीं करते और पक्षद्रोही हो गए हैं। रामेश्वर अ०सा० 3 जो

फरियादी रणवीर का पिता है, घटनास्थल पर बाद में पहुंचना बताता है। रणवीर को दाए हाथ की कोहनी व शरीर में अन्य चोटें होने का कथन करते हैं, यह भी बताते हैं कि उसे रणवीर ने बताया कि लाठी व फरसे से मारपीट की थी। इस प्रकार से यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी है।

- 9. प्रकरण में साक्षी वैजनाथ अ०सा० 4 कथन करते हैं कि दिनांक 16.09.10 को वे थाना गोहद में पदस्थ थे और उन्होंने फरियादी रणवीर राठौर के बताए अनुसार प्र0पी० 1 की रिपोर्ट लेख की थी जिस पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साथ ही नक्शामौका प्र0पी० 2 बनाए जाने जिस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।
- डा० धीरज गुप्ता अ०सा० ६ यह कथन करते हैं कि दिनांक 16.09.10 को आरक्षक अशोक 10. शर्मा थाना गोहद द्वारा आहत रणवीर को चिकित्सीय परीक्षण हेतु पेश करने पर चिकित्सक संतोष सोनी द्वारा 6 चोटें शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों पर पाई गयी जिनमें चोट क0 3 कटा हुआ घाव दाए हाथ में 3 गुणा 0.5 गुणा 0.5 सेमी0 आकार का धारदार वस्तु से होना पाया गया। साक्षी यह कथन करते हैं कि उन्होंने सीएचसी गोहद में डा० संतोष सोनी के साथ मेडीकल आफीसर के रूप में कार्य किया है इस कारण से हस्ताक्षर व हस्तलिपि से भलीभांति परिचित हैं। फरियादी द्वारा बताई गयी चोट की संपुष्टि डाक्टर द्वारा प्र0पी0 8 की रिपोर्ट के रूप में करते हुए बी से बी भाग पर डा0 संतोष सोनी के हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। उक्त साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 47 के अधीन स्संगत है और अविश्वास का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं हैं। साक्षी स्वीकार करते हैं कि आहत रणवीर को आई चोट क0 3 उंगली के तीसरे हिस्से के बराबर होगी। फरियादी को उसे आई चोट किस प्रकार से कारित हुई इस संबंध में खण्डन हेत् कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 16.09.10 को फरियादी रणवीरसिंह राठौर के दाए कोहनी के पास धारदार वस्तु से चोट कारित हुई थी। अब यह तथ्य विवेचन किया जाना हैं कि आहतगण को आई चोट अभियुक्तगण या उनमें से किसी के द्वारा या सामान्य आशय के अग्रशरण में कारित की गयी अथवा नहीं ?

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2//

11. फरियादी रणवीर राठौर अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि अभियुक्त रामगोपाल ने उन्हें फरसा मारा और शेष आरोपीगण उनके लडकों ने मारपीट की थी। इस प्रकार से साक्षी द्वारा किए गए कथन से अभियुक्तगण का कृत्य फरियादी रणवीर को उपहित कारित करने का आशय स्पष्ट करता है। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में फरियादी यह बताते हैं कि उन्हें रामगोपाल ने एक फरसा मारा जिसके लगने के बाद वे जमीन पर गिर गए और लाठी तथा सिरयों से मारपीट की थी। साक्षी कण्डिका 4 में यह कथन करता है कि उसकी पहली मुलाकात आरोपीगण से गांव डरमन में दूध लेते समय हुई थी और दूध दुहाते समय ही उसके साथ रामगोपाल के आधार पर उनके लडके होना बता

रहा है। इस प्रकार से अभियुक्तगण के संबंध में सामान्य आशय के अग्रशरण में उपहित कारित करने के कथन को फरियादी द्वारा किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से उनकी अनन्यता को प्रश्निचिन्हित करने व पहचान के संबंध में प्रश्न पूछे गए किन्तु साक्षी को अभियुक्तगण के संबंध में सामने खड़े कर पहचानने के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गयी।

- 12. प्रकरण में फरियादी के कथनों में घटना का साक्षी कल्लू अ0सा0 2 बताया गया है जो स्पष्टतः फरियादी के कथनों का समर्थन करता है। यद्यपि वह फरियादी का रिश्तेदार है किन्तु उसके साक्ष्य में ऐसा कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि वह अभियुक्तगण के संबंध में असत्य कथन क्यों करता। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया कि फरियादी प्रतिपरीक्षण की किण्डका 3 में यह तथ्य बताने में अस्मर्थता व्यक्त की है कि उसे कितनी लाठी व सरिया लगे तथा किण्डका 6 में अपनी मारपीत आधे घण्टे होना बताई है इस प्रकार से साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि किसी व्यक्ति की मारपीट होने के समय उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उसे पड़ने वाली चोटों की गिनती करे और न हीं कितने समय तक मारपीट की गई इस संबंध में फोटोग्राफिक याददाश्त की भांति याददाश्त का कथन करे। ऐसे में प्रस्तुत तर्क सारहीन पाए जाते हैं।
- 13. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क पेश किया कि फरियादी द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिया गया है इस कारण से वे दोषमुक्ति के पात्र हैं। फरियादी द्वारा प्रतिपरीक्षण की किण्डका 7 में रिपोर्ट न पढ़े जाने और फरसा के अलावा अन्य चोटों के संबंध में न बता पाने का तथ्य संदेहास्पद होने का तर्क करते हुए दोषमुक्त करने का निवेदन किया है। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि फरियादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण तथा दिनांक 09.11.12 तक के प्रतिपरीक्षण में पूर्णतः अभियुक्त रामगोपाल द्वारा फरसा मारने शेष के द्वारा लाठी व सरिया से मारपीट करने के संबंध में कथन किया गया है। यहां तक कि राजीनामा हो जाने के उपरांत प्रतिपरीक्षण की किण्डका 7 में अभिकथित रूप से दिनांक 11.01.2013 को हुए कथन में उसे एक फरसा मारने और अधिक न बता पाने का कथन किया है। फरसा रामगोपाल के अलावा और किसी ने मारा यह न कह सकने का कथन किया है ऐसी दशा में साक्षी के द्वारा राजीनामा उपरांत किए गए कथन के संबंध में अभियुक्तगण लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।
- 14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 16.09.10 को फरियादी रणवीर राठौर को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मितकर उसके अग्रशरण में अभियुक्त रामगोपाल द्वारा धारदार वस्तु फरसा से फरियादी को स्वेच्छा उपहित कारित की जिसके लिए सह अभियुक्त शिवकांत व श्रीकांत समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः अभियुक्त रामगोपाल के विरुद्ध संहिता की धारा 324 तथा शेष

अभियुक्तगण के विरूद्ध संहिता की धारा 324/34 के तहत आरोप प्रमाणित पाया जाता है, उन्हें दोषसिद्ध किया जाता है।

- 15. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। उन्हें अभिरक्षा में लिया जाता है।
- 16. अभियुक्तगण का यद्यपि फरियादी से राजीनामा हो चुका है किन्तु उनके स्वेच्छिक व संगठित अपराध को देखते हुए एवं उनकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्ववान अभिभाषक को सुने जाने हेत् निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थिगत किया जाता है।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

पुनश्च:

- 17. अभियुक्तगण एवं उनके विद्ववान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के पिता एवं पुत्र होकर कृषक होने के आधार पर तथा राजीनामा हो जाने से उन्हें कम से कम दण्ड से दिण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।
- 18. अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं किन्तु साथ ही उनकी परिपक्व आयु एवं आहत / फिरियादी को स्वेच्छा फरसा द्वारा हाथ में उपहित कारित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है, यह तथ्य भी दण्ड पर निर्धारण करने के समय विचारण योग्य कि फिरियादी को आई चोट का आकार अत्यधिक नहीं है। साथ ही फिरियादी एवं अभियुक्तगण एक ही गांव के निवासी हैं ऐसे में भविष्य में उनके संबंधों में मधुरता बनी रहे तथा सामाजिक सामंजस्य व सौहार्दपूर्ण व्यवहार निर्मित रहे इसके लिए उन्हें कठोरतम दण्ड के बजाय शिक्षाप्रद दण्ड से दिण्डत किए जाने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव है। अतः अभियुक्त रामगोपाल को संहिता की धारा 324 के अधीन एवं अभिक्त शिवकांत व श्रीकांत को संहिता की धारा 324/34 के अधीन न्यायालय उठने तक की अविध के दण्ड व एक—एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को एक—एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 19. अभियुक्तगण से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी / आहत रणवीर राठौर को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दप्रस की धारा 357-1 ख के अधीन एक हजार रूपये आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।
- 20. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

- 21. निर्णय की एक एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।
- **22.** अभियुक्तगण की निरोधाविध के संबंध में यदि कोई हो तो धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

WILLIAM PAROTA SUNT

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश